मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक

३. फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक.

अध्याय-तीन

फीस में वृद्धि के विनियमन हेतु प्रक्रिया

४. लेखाओं की प्रस्तुति एवं फीस में वृद्धि के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया.

५. फीस में वृद्धि का विनियमन.

अध्याय-चार

संबंधित विषयों का विनियमन

६. संबंधित विषयों का विनियमन.

अध्याय-पांच

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति

७. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति का गठन.

८. कार्यवाही का संचालन.

९. फीस की वृद्धि एवं संबंधित विषयों के संबंध में शिकायतों का निपटारा.

१०. प्रतिदाय का आदेश और शास्ति का अधिरोपण.

अध्याय-छह

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

११. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति का गठन.

१२. अपील का उपबंध.

अध्याय-सात

लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण

१३. लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण.

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

१४. नियम बनाने की शक्ति.

१५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.

१६. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१७. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

१८. २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिये विशेष उपबंध.

१९. निरसन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण का विनियमन करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''शैक्षणिक वर्ष'' से अभिप्रेत है, कोई कालावधि, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मान्यता प्रदान करने या मान्यता का नवीकरण करने या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी अन्य भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय की संबद्धता उपविधियों के अधीन संबद्धता के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी;

(ग) ''फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति'' से अभिप्रेत है, धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति;

(घ) ''फीस'' से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (१) में यथापरिभाषित फीस;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद्, नगर पालिका या नगर पालिक निगम;

(छ) ''प्रबंधन'' से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या शासी निकाय या कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे निजी विद्यालय के कार्यकलाप सौंपे जाते हैं;

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(झ) ''निजी हाई स्कूल'' से अभिप्रेत है, कक्षा नौ से दस तक या कक्षा एक से दस तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;